UPRB010045482023

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी– सतीश कुमार त्रिपाठी

(एच०जे०एस०)

एस०टी०नं० 1021/2023
अ०सं० 166/2023
धारा-323,504,304 भा०दं०सं०
थाना ऊंचाहार, जनपद रायबरेली।

दिनांक– 16.10.2023

पत्रावली प्रस्तुत। अवलोकित । पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 10 ख अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं०पर आदेश के लिए नियत है। उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में विस्तारपूर्वक सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से प्रार्थनापत्र 10 ख मुख्य रूप से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता पूर्णतया निर्दोष है। उसे गलत एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। सत्यता यह है कि वादिनी मुकदमा व उसके परिजनों द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता को बुरी तरह घेर कर लाठी, डंडों से मारा–पीटा गया, जिसकी वीडियो भी मोबाइल फोन पर ग्रामीणों द्वारा बनायी गयी है। उक्त वीडियो से स्पष्ट है कि राजरानी सिंह, बीरेन्द्र सिंह, अनुज सिंह, हिमांशू सिंह, राजू सिंह, समरजीत सिंह, किरन सिंह, राजकुमारी सिंह, आशू सिंह आदि लोगों द्वारा मिलकर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के साथ स्वंय मारपीट की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्तर्गत धारा 161 दं०प्रं०सं० के बयान से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता के पास किसी प्रकार का कोई हथियार आदि नहीं था और न ही प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित की गयी है। कथित दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा मृतक को कोई चोट नहीं पहुंचायी गयी है, जिससे प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 304 भा०दं०सं० का अपराध सृजित नहीं होता है। कथित घटना किये जाने का कोई भी आशय प्रार्थिनी/अभियुक्ता का नहीं था। अभियोजनपक्ष द्वारा कथित घटना में तीन अभियुक्तों द्वारा लाठी–डंडे से मारपीट किये जाने की बात कही गयी है, किन्तु किस अभियुक्त के हाथ में कौन सा हथियार था, इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। कथित घटना का कोई ठोस साक्ष्य अभियोजनपक्ष के पास नहीं है, जो यह साबित कर सके कि कथित घटना में प्रार्थिनी/अभियुक्ता की किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी रही है। महज मनगढ़न्त साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने उपरोक्त मामले में वांछित किया है। कथित घटना से सम्बन्धित कोई बरामदगी आदि प्रार्थिनी/ अभियुक्ता के पास से नहीं हुई है। कथित बरामदगी से उसका कोई वास्ता व सरोकार नहीं है तथा कथित बरामदगी का कोई जनता का साक्षी नहीं है । कथित घटना का कोई भी स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी जनता का नहीं है, जबकि अभियोजन द्वारा कथित घटना सार्वजनिक स्थल गांव की एवं दिन के एक बजे की होनी कही जाती है। ऐसी स्थिति में किसी जनसाक्षी का न होना अभियोजन कथानक को संदिग्ध बना रहा है। सत्यता यह है कि

वादिनी मुकदमा एवं उसके परिजन काफी सरहंग हैं, जो कि अपने घर का निकास दरवाजा प्रार्थिनी/अभियुक्ता की सहन भूमि की तरफ खोल कर कब्जा करना चाहते थे। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के मना करने पर वादिनी मुकदमा व उसके परिजनों द्वारा अभियुक्ता को बुरी तरह से लाठी,डंडों से मारा–पीटा गया। उक्त मारपीट के दौरान भगदड़ मच गयी। इसी भगदड़ में मृतक जमीन पर लगी बांस व सफेदा की बल्ली/डंडें पर गिर गया, जिससे कि उसे चोटें आयी हैं। मारपीट के दौरान प्रार्थिनी/अभियुक्ता को काफी चोटें आयी हैं, जिसका इलाज सी०एच०सी० ऊंचाहार एवं जिला अस्पताल, रायबरेली में हुआ है तथा प्रार्थिनी/अभियुक्ता जिला अस्पताल रायबरेली में दिनांक–12.4.2023 से 19.4.2023 तक भर्ती रही है। कथित दिनांक , समय व स्थान पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा मृतक के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट आदि कर चोट नहीं पहुंचायी गयी है, जिससे प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा–304 भा०दं०सं० का अपराध नहीं बनता है, क्योंकि प्रार्थिनी/अभियुक्ता स्वंय पीड़िता है। अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया आरोप साबित करने का पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थिनी /अभियुक्ता कोधारा 323,504,304 भा०दं०सं०, से उन्मोचित किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर अभियोजनपक्ष की ओर से मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य जाये जाने के उपरान्त प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323,504,304 भा०दं०सं० न्यायालय प्रेषित किया गया । आरोप के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामला ही देखा जाना होता है। उक्त आधार पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

जहाँ तक प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि उनके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में आरोप विरचित नहीं होता है , को दृष्टिगत रखते हुए, समस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत तहरीर के आधार पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता एवं अन्य सह अभियुक्तगण अनूप सिंह व बिन्दा बक्श सिंह के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 323,504,304 भा०दं०सं०के अन्तर्गत दर्ज की गयी एवं विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त बिन्दा सिंह के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला ना पाते हुए उसका नाम उक्त मुकदमा से लोप कर पृथक किया गया एवं अभियुक्तगण अनूप सिंह एवं मालती सिंह के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला पाते हुए उनके विरूद्ध धारा 323,504,304 भा०दं०सं०के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त अनूप सिंह की उम्र 17 वर्ष नाबालिग का चालान किशोर न्याय बोर्ड किया गया।

प्रार्थनापत्र का०सं० 10 ख अन्तर्गत धारा 227 दं०प्रं०सं० के संदर्भ में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुनने एवं पत्रावली के परिशीलनोंपरान्त न्यायालय के मत में पत्रावली आरोप विरचन के स्तर पर है। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 323,504,304 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। अन्य तर्क, जो बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, वह साक्ष्य का विषय है, जिन पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

विधि का यह स्थापित सिद्धान्त हो चुका है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाते समय मात्र प्रथमदृष्टया केस देखा जाना होता है, न कि तथ्यों को इस प्रकार से देखा जाना है कि वह सजा करने के लिए पर्याप्त हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **स्टेट आफ महाराष्ट्र बनाम् प्रिया सरन महराज व अन्य ए०आई०आर० 1997 एस०सी० 2041** में अवधारित किया है –At the stage of framing of the charge the court has to consider the material with a view to findout if there is ground for presuming that the accused has committed the offence or that there is no sufficent ground for proceeding aganist him and not for the prupuse of arriving at the conclusion that it is not likely to lead to a conviction.

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **कान्ती भद्रशाह व अन्य बनाम् स्टेट आफ वेस्ट बंगाल, AIR 2005 SC 522** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि –"It has been observed by the supreme court that if the trial court decides to frame a charge, there is not legal requirement that he should pass an order specifying the reasons as to why he opts to do so. Framing of charge itself is prima facie order that the trial court has formed the opinion upon considering the police report and other documents and after hearing both sides, that there is ground for presuming that the accused has committed the offence concerned."

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **भावना बाई बनाम घनश्याम सिंह व अन्य ए०आई०आर० 2020 एस०सी० 554(तीन सदस्यीय बेंच)** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवाधरित किया है कि आरोप विरचन किये जाते समय न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं है कि वह विस्तृत इन्क्यावरी करें, केवल प्रथम दृष्टया ही तथ्यों को देखा जाना होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित विवेचना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप विरचन के लिए अभियोजनपक्ष की ओर से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। तद्नुसार प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 10 ख स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

तद्नुसार प्रार्थनापत्र 10 ख आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक – 08.11 .2023 को वास्ते विरचित किये जाने आरोप पेश हो। उक्त तिथि को प्रार्थिनी/अभियुक्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगें। प्रार्थिनी/अभियुक्ता जरिये समन तलब हों।

(सतीश कुमार त्रिपाठी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
रायबरेली।
UPID1537
16.10.2023